न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33/2023 निगरानी

उनवान

भूपेन्द्र सिंह राणावत पिता प्रहलाद सिंह राणावत निवासी रावला के पास, अगरपुरा ग्राम पंचायत हलेड तहसील व जिला भीलवाडा **बनाम**

1. श्री अनवर हुसैन पुत्र अब्बास अली बोहरा निवासी कमाल के कुंए के पास, भीलवाडा
2. ग्राम पंचायत हलेड जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा जिला भीलवाडा
3. ग्राम पंचायत हलेड, पंचायत समिति सुवाणा तहसील भीलवाडा जरिये सरपंच

—— निगराकार

——गैर निगराकारगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 97 रा0पं0रा0 अधिनियम 1994 बिरूद्ध ग्राम पंचायत हलेड पट्टा सं0 43 मिसल संख्या 35/2030 नवीनीकृत आदेश दिनांक 13.11.2017

उपस्थित :– श्री अभिन्यू जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
श्री ओ.पी. सोनी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 की ओर से

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 21.01.202

निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती रा अधिनियम 1994 में गैर निगराकारान के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 0 नूरूदीन बोहरा के दादाजी सैफुदीन बोहरा पुत्र इब्राहीम बोहरा निवासी भीलवाडा के पक्ष में ग्रा पंचायत हलेड द्वारा ग्राम अगरपुरा में बापी पटटा संख्या 43 जरिये पत्रावली संख्या 35/203 कायम की जाकर दिनांक 5.3.1974 को बापी पटटा संख्या 43 जारी किया तथा प्रंस्ताव संख्या दिनांक 13.11.2017 से सैफुदीन बोहरा के पक्ष में जारी पटटा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष नवीनीकृत किया है। ग्राम पंचायत हलेड द्वारा गलत तौर से पटटा जारी किया गया हैं और ग्रा पंचायत हलेड द्वारा गलत एवं अवैध तौर से करीब 43 वर्षों पश्चात पटटा नवीनीकृत किया है निरस्त किये जाने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 01 के दादा सैफुदीन ग्राम पंचायत हलेड के किसी राजस्व ग्राम का स्थायी निवासी नही था। न ही ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में उनका नाम थ पटटाशुदा जमीन पर न तो उसका पैतृक मकान था और न ही कभी कब्जा रहा हैं एवं न ही मौ पर कोई पुश्तैनी मकान सैफुदीन का मौजूद था और न ही पटटा जारी होने के पश्चात् कोई निर्मा करवाया गया। नवीनीकरण के पश्चात् भी वर्ष 2022–23 तक कोई निर्माण अनवर हुसैन ने न करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत् घोषणा किये ही उ पटटा नवीनीकृत किया गया हैं। उक्त पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नही की गयी। बापी पटटा के आड में पंचायत के ब बेशकीमती भूमि को अंजान व्यक्ति को कोडियों के भाव दे दी गयी जो पंचायत के साथ साथ स ग्रामवासीयों एवं निगरानीकर्ता के हक़ व अधिकारों का हनन हैं। उक्त पटटा साईज 60 फीट ब 40 फीट अर्थात 2400 वर्गफीट का है जो बहुत अधिक क्षैत्रफल का हैं। पंचायत को इतने अधि क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही हैं। विपक्षी संख्या 01 कि दादाजी सैफुद को पटटा जारी किया गया है उसमें कहीं पर भी आराजी संख्या का हवाला नही हैं कि पंचा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

द्वारा किस आराजी में पटटा जारी किया गया हैं। सैफुदीन का निधन वर्ष 2000 में हो गया। उसके पश्चात् 17 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के नाम पर रिकार्ड नही रहा अर्थात् पटटा नही रहा और 17 वर्षों पश्चात् अवैध तौर से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पटटा जारी किया गया वह त्रुटिपूर्ण हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत हलेड द्वारा सैफुदीन के पक्ष में जारी पटटा कमांक 43 दिनांकित 5.3.1974 तथा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी नवीनीकृत आदेश दिनांक 13.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। गैर निगराकार सं0 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 01 नूरूदीन बोहरा के दादाजी सैफुदीन बोहरा पुत्र इब्राहीम बोहरा निवासी भीलवाडा के पक्ष में ग्राम पंचायत हलेड द्वारा ग्राम अगरपुरा में बापी पटटा संख्या 43 जरिये पत्रावली संख्या 35/2030 कायम की जाकर दिनांक 5.3.1974 को बापी पटटा संख्या 43 जारी किया तथा प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 13.11.2017 से सैफुदीन बोहरा के पक्ष में जारी पटटा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में नवीनीकृत किया है, जो ग्राम पंचायत हलेड द्वारा गलत तौर से पटटा जारी किया गया हैं और ग्राम पंचायत हलेड द्वारा गलत एवं अवैध तौर से करीब 43 वर्षों पश्चात पटटा नवीनीकृत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। विपक्षी संख्या 01 के दादा सैफुदीन ग्राम पंचायत हलेड के किसी भी राजस्व ग्राम का स्थायी निवासी नही था। न ही ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में उनका नाम था। पटटाशुदा जमीन पर न तो उसका पैतृक मकान था और न ही कभी कब्जा रहा हैं एवं न ही मौके पर कोई पुश्तैनी मकान सैफुदीन का मौजूद था और न ही पटटा जारी होने के पश्चात् कोई निर्माण करवाया गया। नवीनीकरण के पश्चात् भी वर्ष 2022–23 तक कोई निर्माण अनवर हुसैन ने नही करवाया। ग्राम पंचायत द्वारा बिना मौके की जानकारी किये व कोई विधिवत् घोषणा किये ही उक्त पटटा नवीनीकृत किया गया हैं। उक्त पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के 142 से 158 के प्रावधानों की पालना नही की गयी। बापी पटटा के आड में पंचायत के द्वारा बेशकीमती भूमि को अंजान व्यक्ति को कोडियों के भाव दे दी गयी जो पंचायत के साथ साथ सभी ग्रामवासीयों एवं निगरानीकर्ता के हक व अधिकारों का हनन हैं। उक्त पटटा साईज 60 फीट बाई 40 फीट अर्थात 2400 वर्गफीट का है जो बहुत अधिक क्षैत्रफल का हैं। पंचायत को इतने अधिक क्षैत्रफल का पटटा जारी करने का कोई अधिकार नही हैं। विपक्षी संख्या 01 कि दादाजी सैफुदीन को पटटा जारी किया गया है उसमें कहीं पर भी आराजी संख्या का हवाला नही हैं कि पंचायत द्वारा किस आराजी में पटटा जारी किया गया हैं। सैफुदीन का निधन वर्ष 2000 में हो गया। उसके पश्चात् 17 वर्षों तक किसी भी व्यक्ति के नाम पर रिकार्ड नही रहा अर्थात् पटटा नही रहा और 17 वर्षों पश्चात् अवैध तौर से विपक्षी संख्या 01 के नाम पर पटटा जारी किया गया वह त्रुटिपूर्ण हैं। निवेदन हैं कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत हलेड द्वारा सैफुदीन के पक्ष में जारी पटटा कमांक 43 दिनांकित 5.3.1974 तथा विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में जारी नवीनीकृत आदेश दिनांक 13.11.2017 को अपास्त फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगराकार ने जिस पटटे को निरस्त कराने हेतु जो निगरानी पेश की हैं, इसी पटटे के निरस्तीकरण बाबत् छोटू लाल पुत्र बालू जाट निवासी अगरपुरा द्वारा इसी न्यायालय में निगरानी पेश की जिसके प्रकरण संख्या 103/2020 अनवान छोटू लाल जाट बनाम अनवर हुसैन बोहरा व अन्य कायम हुये तथा इसका निर्णय दिनांक 23.09.2021 को कर दिया गया। उक्त निर्णय की अपील नही की गयी। उक्त निर्णय आज भी बरकरार है। निगराकार द्वारा उसी पटटे की दुबारा निगरानी आप न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायालय में वाद बाहुल्यता बढाया जाकर, न्यायालय का श्रम जाया कर रहे है।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण में निगराकार की कोई लोकस स्टैण्डाई नही बनती हैं। प्रकरण में रेस ज्यूडिकेटा का सिद्वान्त लागू होता है। इस न्यायालय द्वारा पटटे के निर्णय उपरांत उसी न्यायालय में बार बार निगरानी कानूनन पेश नही की जा सकती है। ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या 01 के दादा सैफुदीन को विधिवत् प्रकिया अपनायी जाकर प्रश्नगत पटटा जारी किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं हैं। पूर्व में जारी पटटे का सैफुदीन के वारिसों ने नवीनीकरण कराया हैं, नया पटटा जारी नही कराया गया हैं। प्रश्नगत पटटे की रजिस्ट्री हो चुकी है एवं रजिस्ट्री को सिविल न्यायालय में ही चैलेंज किया जा सकता हैं। निगराकार का उक्त पटटे पर कोई कब्जा नही हैं। उक्त निगरानी 45 वर्षों बाद पेश की गयी जो मियाद बाहर हैं। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

गैर निगराकार संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण मे प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत हलेड के कार्यालय में उपलब्ध नही हैं।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त परीक्षण किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि ग्राम पंचायत हलेड के जवाब दिनांक 6.03.2024 अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पत्रावली से संबंधित कोई रिकार्ड पंचायत में उपलब्ध नही होना का अंकन किया हैं तथा निगराकार स्वयं ने भी प्रश्नगत पटटे की फोटोप्रति पेश की है, न कि सत्यापित प्रति। जबकि निगराकार ने निगरानी मेमों में कथन अंकित किया हैं कि प्रश्नगत पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अनदेखी कर पटटा जारी किया हैं। इस प्रकार निगराकार के उक्त कथन में विरोधाभास प्रकट होता हैं, कि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उक्त पटटा पत्रावली व पटटा उपलब्ध होना नही पाया गया, तो निगराकार ने बिना पटटा पत्रावली का अध्ययन किये ही किस प्रकार यह कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमों की उल्लघंना की हैं ? इस हेतु निगराकार की ओर से कोई जवाब/प्रमाणिक साक्ष्य व दस्तावेजात पेश नही किये गये।

निगराकार ने पटटे व मिसल की कोई प्रमाणित प्रति पेश नही की हैं; जिससे जाहिर हो सके कि पटटा वैध है अथवा अवैध, जबकि नियमानुसार Burdon of proof स्वयं निगराकार का होता हैं।

पत्रावली का परीक्षण उपरांत जाहिर आया कि उक्त प्रकरण में इसी न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत पटटे पर निगरानी प्रकरण संख्या 103/2020 से निर्णय दिनांक 23.09.2021 को किया जा चुका था। अब नये (अन्य) निगराकार द्वारा उसी पटटे को दोबारा इसी न्यायालय में पेश कर निर्णित कराना चाहता हैं जो विधि विरूद्व हैं। इस प्रकार नये (अन्य) निगराकार द्वारा उसी पटटे को नयी निगरानी के साथ पेश करके न्यायालय में वाद बाहुल्यता बढाकर न्यायालय का श्रम अनावश्यक जाया करना चाहता हैं। जबकि आपत्तिकर्ता को पूर्व निर्णय से असंतुष्टता होने पर सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी सारहीन, आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव– अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत सिद्ध नही होने से एवं तथ्यहीन होने से निगरानी अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत हलेड को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अति. जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा